







United Arab Emirates  
Ministry of Interior  
National & Residency Administration  
2756  
وزارة الداخلية  
إدارة الجنسية والإقامة  
دولة الإمارات العربية المتحدة



STATE OF QATAR  
MINISTRY OF INTERIOR



دولة قطر  
وزارة الداخلية



28635628804

الرقم الشخصي

I.D. No.



Entry Purpose	WORK	عمل
---------------	------	-----

غرض الدخول

Expiry Date	2012-08-03
-------------	------------

تاریخ الإنتهاء

Document No.	H4887221
--------------	----------

رقم المستند

**Name : ABDUL SHANAWAZ MOHAMMED**

الانقسام :

الكفيل: ماكسر للتجارة في معدات النفط والغاز

الوظيفة: محاسب

لا يوجد

يُشترط أن يكون جواز السفر ساري المفعول وتعتبر الإقامة لاغية إذا تجاوز حاملها أكثر من ستة أشهر خارج البلاد  
RETURNING RESIDENTS MUST HAVE A VALID PASSPORT. RESIDENCE PERMITS WILL BE INVALID IF THE BEARER HAS MORE THAN SIX MONTHS OUTSIDE THE COUNTRY.

V<QATMOHAMMED<<ABDUL<SHANAWAZ<<<<<<<<<<<<<<<<  
4887221<<2IND8604220M120803228635628804<<<46



पंजीकरण  
विदेशों में रहने वाले भारतीय नागरिकों को सलाह दी जाती है कि वे निम्नलिखित प्राधिकारों के माध्यम से अपना पंजीकरण करावाए।

यह पासपोर्ट भारत सरकार की सम्पत्ति है। इस पासपोर्ट के बारे में किसी पासपोर्ट अधिकारी से इसके धारक को यदि कोई सूचना मिलती है जिसमें पासपोर्ट लौटाने की मांग भी शामिल है तो उसका तुरंत अनुपालन किया जाए।

यह पासपोर्ट डाक द्वारा किसी भी देश से बाहर न भेजा जाए। यह पासपोर्ट धारक या उसके द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति के कब्जे में ही होना चाहिए। इसमें किसी भी प्रकार का फेरबदल या विकृति नहीं की जानी चाहिए।

पासपोर्ट गुम हो जाने, चोरी हो जाने अथवा नष्ट हो जाने पर उसकी सूचना भारत में सबसे निम्नलिखित प्राधिकारों को अथवा यदि पासपोर्ट धारक विदेश में है तो निम्नलिखित प्राधिकारों को देना चाहिए और स्थानीय पुलिस को तत्काल ही जानी चाहिए। विस्तृत पृष्ठनाथ के बाद ही डुलीके पासपोर्ट जारी किया जाएगा।

### REGISTRATION

INDIAN CITIZENS RESIDENT ABROAD ARE ADVISED TO REGISTER THEMSELVES AT THE NEAREST INDIAN MISSION/POST.

### CAUTION

THIS PASSPORT IS THE PROPERTY OF THE GOVERNMENT OF INDIA. ANY COMMUNICATION RECEIVED BY THE HOLDER FROM A PASSPORT AUTHORITY REGARDING THIS PASSPORT INCLUDING DEMAND FOR ITS SURRENDER, SHOULD BE COMPLIED WITH IMMEDIATELY.

THIS PASSPORT SHOULD NOT BE SENT OUT OF ANY COUNTRY BY POST. THIS SHOULD BE IN THE CUSTODY EITHER OF THE HOLDER OR OF A PERSON AUTHORISED BY THE HOLDER. IT MUST NOT BE ALTERED OR MUTILATED IN ANY WAY.

LOSS, THEFT OR DESTRUCTION OF THIS PASSPORT SHOULD BE IMMEDIATELY REPORTED TO THE NEAREST PASSPORT AUTHORITY IN INDIA OR IF THE HOLDER IS ABROAD, TO THE NEAREST INDIAN MISSION/POST AND TO THE LOCAL POLICE. ONLY AFTER EXHAUSTIVE ENQUIRIES SHALL A DUPLICATE PASSPORT BE ISSUED.

पिता / कानूनी अभिभावक का नाम / Name of Father / Legal Guardian

YAMBY MOHAMMED

माता का नाम / Name of Mother

RAZIYA

पति या पत्नी का नाम / Name of Spouse

पता / Address

MOHRA HOUSE

PO MOGRAL K K PURAM

KASARAGOD DT KERALA 671321

पुराने पासपोर्ट का नं. और इसके जारी होने की तिथि एवं स्थान / Old Passport No. with Date and Place of Issue

फाइल नं./ File No.

K0ZZ80131209